



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1770]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 2010/भाद्र 4, 1932

No. 1770]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2010/BHADRA 4, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2010

New Delhi, the 26th August, 2010

का.आ. 2087(अ).—केन्द्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 7 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1334 (अ), दिनांक 7 जून, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

S.O. 2087(E).—In exercise of the powers conferred under Section 7 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), read with Section 9 of the said Act, and rule 4 of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment Number S.O. 1334(E), dated the 7th June, 2010, namely :—

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक (ख) नियोजकों के प्रतिनिधि के अंतर्गत, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) से संबंधित उप-शीर्षक (छ) के अंतर्गत, क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

In the said notification, under the heading B. Employers' Representatives, under sub-heading (g) relating to the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“8 सुश्री इंदु वधवा

“8 Ms Indu Wadhwa

वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एच.आर.)

Senior Vice President (HR)

जी4एस सिक्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि.

G4S Security Services (India) Pvt. Ltd.

पंचवटी, 82-ए, सेक्टर 18

Panchwati, 82-A, Sector 18

गुडगाँव-122 016”

Gurgaon-122 016”

[फा. सं. एस-32022/1/2009-डब्ल्यू.सी.]

[F. No. S - 32022/1/2009 - WC]

डॉ. हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक

Dr. HARCHARAN SINGH, Dy. Director General